

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सं0सं0-भवन/10/आरोप-(द0बि0)-36/2016..... 390 (A) पटना, दिनांक- 16.1.17

:: संकल्प ::

श्री जगत पासवान, तदेन कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना सम्प्रति अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार, भवन अंचल, गया के विरुद्ध श्री तारणी दास, कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना के पत्रांक-7298 दिनांक-06.08.2016 द्वारा श्री पासवान के पटना भवन प्रमंडल, पटना के पदस्थापन काल में वित्तीय वर्ष 2014-2015 एवं 2015-2016 में अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य हेतु विभाग द्वारा स्वीकृत प्राथमिकता के अतिरिक्त 771 कार्य बिना विभागीय अनुमति/स्वीकृति के कराने एवं वित्तीय वर्ष 2016-2017 में कराये जाने वाले कार्यों के लिए प्राप्त आवंटन ₹1267.00 लाख में से बगैर प्राथमिकता निर्धारण/विभागीय स्वीकृति के सृजित दायित्व के विरुद्ध ₹718.96 लाख का अनियमित भुगतान करने का वित्तीय अनियमितता का आरोप प्रतिवेदित है।

2. अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-8182(भ0) दिनांक-23.08.2016 द्वारा श्री पासवान से उक्त आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री पासवान के पत्रांक-1393 दिनांक-03.09.2016 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री पासवान द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-9853(भ0) दिनांक-05.10.2016 द्वारा अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना से मंतव्य की माँग की गई। अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना के पत्रांक-8516 दिनांक-19.11.2016 के द्वारा अपने मंतव्य में प्रतिवेदित किया गया कि श्री पासवान द्वारा बिना विभागीय स्तर से प्राथमिकता सूची का अनुमोदन कराये निविदा आमंत्रित करना एवं एकरारनामा पर भुगतान किया जाना, वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है।

3. श्री पासवान के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं समर्पित स्पष्टीकरण पर सम्यक विचारोपरान्त आरोप प्रपत्र-"क" के साथ संलग्न साक्ष्यों एवं आरोप संख्या-01 से 02 के संबंध में समीक्षोपरान्त पाये गये तथ्यों के आधार पर प्रतिवेदित आरोप प्रथम दृष्ट्या सही पाया गया।


अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री पासवान के विरुद्ध संलग्न अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों की जाँच विहित रीति से करने हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है। जिसमें विभागीय जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी तथा सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए श्री तारणी दास, कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करने के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

कृ०पृ०३०

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाय।

बिहार राजपाल के आदेश से,


12/11/17

✓ सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- भवन/10/आरोप-(द0बि0)-36/2016.....390 (अ) 3अ/ पटना, दिनांक- 16.1.17

प्रतिलिपि:-आरोप प्रपत्र, जाँच-पत्रक एवं साक्ष्य की प्रति के साथ विभागीय जाँच आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही 45 (पैंतालीस) दिनों के अन्दर संपन्न कर जाँच अभिलेख विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।


12/11/17

✓ सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- भवन/10/आरोप-(पटना)-07/2016.....390 (अ) 3अ/ पटना, दिनांक- 16.1.17

प्रतिलिपि:-श्री तारणी दास, कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/श्री जगत पासवान, तदेन कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना सम्प्रति अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार, भवन अंचल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु0-यथोक्त।


12/11/17

✓ सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- भवन/10/आरोप-(द0बि0)-36/2016.....390 (अ) 3अ/ पटना, दिनांक- 16.1.17

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई0-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


12/11/17

✓ सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- भवन/10/आरोप(द0बि0)-36/2016.....390 (अ) 3अ/ पटना, दिनांक- 16.1.17

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, के आप्त सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल/अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, गया/सभी उप सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी अवर सचिव/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


12/11/17

✓ सरकार के अपर सचिव।


12/11/17